तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./2005/2119/धौलपुर** **सरकार बनाम लक्ष्मी देवी आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-10-2019	**एकल-पीठ** **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक सरकार श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट **निर्णय** 1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 13-8-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या-11 एवं 12 क्रमशः श्याम एवं मौजीराम जाति मीणा निवासी ग्राम पवेनी तहसील बसेड़ी में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम-1970 के नियम-14(4) के तहत जिला कलेक्टर, धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर-133 ग्राम पवेनी तहसील बसेड़ी में स्थित है जिसका रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा है। इस रकबे में से दिनांक 21-12-1970 को आवंटन सलाहकार समिति, बसेड़ी के द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 महेश तथा प्यारेलाल मंगल पुत्र भावसिंह एवं अप्रार्थी संख्या-1 लक्ष्मी देवी मंगल पत्नी दीनदयाल मंगल को 10-10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और लक्ष्मी देवी मंगल का पति दीनदयाल मंगल पटवारी	

है, जो कि एक राजकीय कर्मचारी है। यह आवंटन दीनदयाल मंगल पटवारी के भाई, पिता एवं पत्नी को किया गया है तथा आराजी मुतनाजा चरागाह होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी और चरागाह भूमि का आबंटन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है इसलिये उक्त आवंटन व्यर्थ एवं शून्य है तथा आवंटन के बाबत कानूनी प्रक्रिया व औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। एक ही परिवार को तीस बीघा भूमि का आवंटन किया गया है और आवंटी सद्भाविक कृषक भी नहीं है। आगे यह भी कथन किया कि आवेदन पत्र भी प्रमाणित नहीं कराया गया और उनके नाम खसरा नम्बर-133 में आवंटन नहीं हुआ बल्कि आबंटन आदेश में खसरा नम्बर-122 अंकित है। आबंटियों का आबंटित भूमि पर कब्जा भी नहीं है इसलिये उक्त आबंटन को निरस्त किया जावे। जिला कलेक्टर, धौलपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया और अपने आदेश दिनांक 31-12-2002 के द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 व 2 को किया गया आबंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अप्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13-8-2004 के द्वारा स्वीकार कर लिया और जिला कलेक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांक 31-12-2002 निरस्त करते हुये आबंटन आदेश दिनांक 21-12-1970 को बहाल कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 13-8-2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय दिनांक 13-8-2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज थी और इस कारण चरागाह भूमि को जब तक नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा सिवायचक घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वह आबंटित नही की जा सकती थी। उक्त चरागाह भूमि को राजस्थान सरकार ने सिवायचक घोषित नहीं किया था। अपितु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर ने सिवायचक घोषित किया था जो कि इसके लिये सक्षम अधिकारी नहीं थे। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने इस तथ्य की अनदेखी कर अपील स्वीकार करने में भारी भूल की है। उन्होंने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी एवं उसके परिजनों को भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में पटवारी दीनदयाल मंगल ने अपने परिजनों को अनुचित लाभ प्रदान करते हुये तथा तथ्यों को छिपाते हुये कपट पूर्वक 30 बीघा भूमि का आबंटन अपने परिजनों को करवा लिया। इसी कारण यह आबंटन धोखे से तथा कपट रूप से करवाये जाने के कारण निरस्तनीय था जिसे जिला कलेक्टर, धौलपुर ने उचित रूप से निरस्त कर दिया था किन्तु न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने उक्त आबंटन को बहाल करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी

गौर नहीं किया कि महेश पुत्र प्यारेलाल के नाम का व्यक्ति कौन है तथा कहां रहता है तथा उसका भूमि पर कब्जा है अथवा नहीं है और इस कारण उक्त आबंटन को बहाल करने में भारी भूल की है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि जहां पर आबंटन कानूनी प्रावधानों के विपरीत हो, वह प्रारम्भ से ही शून्य तथा निष्प्रभावी होता है तथा ऐसे आबंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड–पीठ ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय आरआरडी–2002 पेज–1 में यही अभिमत प्रकट किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आवंटी आवेदक को खसरा नम्बर–133 का आवंटन नहीं होकर खसरा नम्बर–122 में आवंटन हुआ है और जो बटे नम्बर कायम किये गये हैं वह भी खसरा नम्बर–133/6 तथा 133/8 कायम किये हैं तथा खसरा नम्बर–122/5 भी गलत इन्द्राज है क्योंकि खसरा नम्बर–122 के लिये कोई आवेदन आबंटन किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था। इस कारण जिला कलेक्टर, धौलपुर ने आवंटन को नियम विरूद्ध मानते हुये उसे निरस्त कर दिया था किन्तु जिला कलेक्टर, धौलपुर के आदेश को अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–63 में एक नया प्रावधान क्लोज–(ix) वर्ष 1997 में जोड़ दिया था जिसका भूतलक्षी प्रभाव था और इस प्रावधान के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात भी न्यायालय आवंटन निरस्त करने में सक्षम है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल.आर./2005/2119/धौलपुर</u>** **सरकार बनाम लक्ष्मी देवी आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का आदेश दिनांक 13-8-2004 निरस्त किया जाकर जिला कलेक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांक 31-12-2002 को बहाल रखा जाये। 5- उक्त अपील के साथ साथ राजस्थान सरकार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया और बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में देरी होने का कारण राजकीय कार्य में व्यस्तता है और यह देरी जानबूझकर नहीं की गयी है अपितु सद्भाविक है। इसलिये उक्त देरी को शमित करते हुये धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। 6- विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत, तर्कसंगत एवं न्यायसंगत है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय प्रदान किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। राजस्थान सरकार ने यह अपील देरी से प्रस्तुत की है जिसका कोई समुचित कारण भी प्रदर्शित नहीं किया है। इस कारण मियाद के बिन्दु पर ही अपील निरस्तनीय है। इस अपील में राजस्थान सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है इस कारण भी अपील बलहीन व सारहीन है। अतः अपील निरस्त की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने तर्को के समर्थन में डीएनजे 2018(2) (राज.) पेज-726, आरबीजे-1995 पेज-780, डीएनजे	

2017 (रेवेन्यू) पेज–145, आरआरडी–2009 पेज–177, आरआरडी–2008 पेज–454 एवं आरआरटी–2011(1) पेज–383, आरआरटी–2011(2) पेज–1205, आरआरडी–2001(एच.सी.) पेज–206, डब्ल्यू.एल.सी.2009(5) (राज.) पेज–507 व आरआरडी 1999 (एच.सी.) पेज–128 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का आदेरपूर्वक परिशीलन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 ग्राम पवेनी तहसील बसेड़ी जिला भरतपुर (तत्कालीन) के आराजी खसरा नम्बर–133 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन चरागाह दर्ज है जिसमें एक नोट अंकित है कि ''मुताबिक आदेश श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब भू राजस्व 60/2619–90 दिनांक 18–12–1970 खसरा नम्बर–133 में से 65 बीघा चरागाह से मुक्त किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर–122 रकबा 81 बीघा 6 बिस्वा भी चरागाह में दर्ज है और उक्त रकबे में से 65 बीघा रकबा भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर के उक्त आदेश से चरागाह से मुक्त किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16(i) में चरागाह भूमि अंकित है और उक्त प्रावधान के अनुसार चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। चरागाह भूमि को सिवायचक में परिवर्तित करने का अधिकार केवल राजस्थान सरकार को है अन्य किसी अधिकारी को नहीं है। इस प्रकार इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर ने जो

आदेश चरागाह भूमि को दिये गये हैं, वे प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य प्रभावी हैं। क्योंकि चरागाह भूमि से सिवायचक भूमि में परिवर्तित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर सक्षम अधिकारी नहीं थे। अतः चरागाह भूमि में से बिना राजस्थान सरकार की स्वीकृति के कोई भी भूमि सिवायचक दर्ज कर किसी को आबंटित कर दी गयी है तो वह आबंटन भी प्रथम दृष्ट्या शून्य एवं अवैध है जिसे कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

9– आबंटन हेतु आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदिका लक्ष्मी देवी धर्म पत्नी दीनदयाल मंगल निवासी बरोली तहसील बसेड़ी ने ग्राम मौजा पवेनी की आराजी खसरा नम्बर–133 में से 15 बीघा भूमि का आबंटन चाहा है। उक्त आवेदन पत्र पर उसके पति दीनदयाल मंगल जो कि हल्का पटवारी था, उसने रिपोर्ट अंकित की है कि आराजी खसरा नम्बर–133 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा में से लगभग 65 बीघा भूमि काबिल काश्त है। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी लक्ष्मी देवी को पटवारी ने जो उसका पति है, भूमिहीन बताया है। जो आबंटन आदेश हुआ है वह खसरा नम्बर–122 में से 10 बीघा भूमि का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार दूसरा आवेदक महेश चन्द पुत्र प्यारेलाल मंगल जो कि धौलपुर के निवासी हैं और दीनदयाल मंगल पटवारी के ही परिजन हैं, के बारे में भी पटवारी ने ऐसी ही रिपोर्ट की है और इनको खसरा नम्बर–133 में से 10 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। एक अन्य आवेदन पत्र प्यारेलाल पुत्र भावसिंह का है जो कि बरोली का निवासी है और पटवारी दीनदयाल मंगल का परिजन है और उसको भी खसरा नम्बर–133 में से 10 बीघा भूमि का आबंटन किया है। इस

प्रकार दीनदयाल पटवारी ने तथ्यों को छिपाते हुये कपट पूर्वक अपनी पत्नी, पिता एवं भाई के नाम प्रत्येक को दस-दस बीघा भूमि का आबंटन कराया है जो कि विधिक रूप से अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।

10- राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम-1970 के नियम-4 में निम्न प्रावधान है :-

> 4. भूमि, जो इन नियमों के अधीन आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होगी- इन नियमों के अधीन भूमियों के निम्नलिखित प्रवर्ग कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होंगे, अर्थात :-
>
> (i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 में उल्लेखित भूमियां,
> (ii) वायुयानों के लिये आवतरण मैदान के रूप में सीमांकित भूमियां,
> (iii) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 13) की धारा-28 के अधीन गठित ग्राम वनों के लिये आरक्षित भूमियां,
> (iv) किसी ग्राम की आबादी के साथ लगे हुये अथवा समीपस्थ भूमि के छोटे बाड़े, जो खलिहानों के लिये आरक्षित हों,
> [(v) निम्नलिखित के भीतर की भूमियां :-
> (क) पांच लाख व उससे अधिक की जनसंख्या वाले किसी नगर की नगर पालिक सीमा की तीन मील की परिधि,
> (ख) दो लाख व उससे अधिक, किन्तु पांच लाख से कम की जनसंख्या वाले किसी कस्बे की नगर पालिक सीमा की दो मील की परिधि,
> (ग) एक लाख व उससे अधिक, किन्तु दो लाख से कम की जनसंख्या वाले किसी कस्बे की नगर पालिक सीमा की एक मील की परिधि,
> (घ) अन्य किसी भी कस्बे की नगर पालिक सीमा,
> (ड) किसी रेल्वे की हदबन्दी से एक सौ गज, अथवा

(च) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य किसी पक्की या कंकरिट सड़क के मध्य से पचास गज।]

(vi) राजस्थान भू राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम-1962 के अधीन लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमियां, अथवा

[(vii) भूमि आवंटन के किन्हीं विशेष नियमों के अधीन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां।

11- इस प्रकार नियम-4(i) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 में उल्लेखित भूमियों का आबंटन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकरण में जो भूमि आबंटित की गयी थी वह भूमि राजस्व रिकार्ड में ''चरागाह'' दर्ज थी जिसे राजस्थान सरकार ही सिवायचक में परिवर्तित कर सकती थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर को किस्म परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। नियम-4(I) के अन्तर्गत उक्त भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता था।

12- राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम-1970 के नियम-2(iii-ख) में भूमिहीन कृषक की परिभाषा दी गयी है, जो निम्न प्रकार है :-

[(iii-ख) **''भूमिहीन कृषक''** से राजस्थान में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सदभाविक कृषक अथवा खेतीहर मजदूर हो और जो खेती कर रहा हो या व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने वाला हो और जिसकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती या खेती के गौण या सहायक अन्य कोई व्यवसाय हो और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कहीं पर भी कोई भू.धृति धारित नही करता हो और यदि धारित करता हो, तो ऐसी भूमि का क्षेत्र, उसे पूर्व में आवंटित की गयी भूमि को सम्मिलित करते हुये, नियम-12 में निर्धारित क्षेत्र से कम होः

क परन्तु निम्नलिखित प्रवर्गो के व्यक्तियों को भूमिहीन कृषक नहीं माना जायेगा, अर्थात

(क) सरकार या किसी वाणिज्यक का अथवा औद्योगिक संस्थान या समुत्थान कोई कर्मचारी, उसकी पत्नी तथा उस पर आश्रित उसके बच्चे, किन्तु कोई आकस्मि या कार्य प्रभारित श्रमिक इस प्रयोजन के लिये कर्मचारी नहीं माना जायेगा।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने स्वयं द्वारा धारित या उसे आवंटित भूमि सम्पूर्ण रूप से अथवा उसका कोई भाग विक्रय कर दिया हो या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया हो और ऐसा करने के बाद उसके पास उपर निर्दिष्ट न्यनतम क्षेत्र रहा हो।

(ग) कोई विवाहित व्यक्ति, जिसकी पत्नी या जिसका पति, जैसी भी स्थिति हो, किसी ऐसी भूमि जो उसे संयुक्त रूप से या पृथक रूप से पूर्व में आवंटित की गयी है, को सम्मिलित करते हुये नियम-12 में निर्धारित क्षेत्र से अधिक भूमि धारित करता हो।]

13- उक्त नियम-2(iii-ख)(क) किसी सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिजन को भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में दीनदयाल मंगल पटवारी ने अपनी पत्नी, पिता व भाई को भूमि का आबंटन कराया है जो कि प्रथम दृष्टया अवैध एवं शून्य प्रभावी है इसलिये उक्त आबंटन निरस्त होने योग्य है।

14- श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम पवेनी की खसरा नम्बर-133 में से 15 बीघा भूमि का आबंटन चाहा था। उसने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर-122 का कोई अंकन नहीं किया। इसके बावजूद भी उसे खसरा नम्बर-122 में

से 10 बीघा भूमि का आबंटन किया गया जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

15- आबंटी श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री महेशचन्द मंगल एवं श्री प्यारेलाल मंगल जाति से वैश्य हैं और गांव पवेनी के निवासी भी नहीं है। उनका पेशा कृषि नहीं होने के कारण वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। इसके बावजूद भी पटवारी दीनदयाल ने उन्हें भूमिहीन बताकर आबंटन अवैध एवं कपट रूप से कराया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

16- अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रकरण में पटवारी के द्वारा कपट रूप से गलत रिपोर्ट करवा कर सरकारी कर्मचारी के परिजनों को चरागाह भूमि में से आबंटन कराया है जो कि नियम-4 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिसे सक्षम अधिकारी के द्वारा सिवायक में परिवर्तित नहीं किया है। कपट पूर्ण तरीके से पटवारी द्वारा रिपोर्ट अंकित करते हुये धोखा-धड़ी के साथ कराया गया आवंटन कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1963 की उपधारा-(ix) में निम्न प्रावधान किये गये हैंः-

> **[(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.]**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2005 / 2119 / धौलपुर** **सरकार बनाम लक्ष्मी देवी आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17- अतः उक्त समस्त प्रावधानों के अनुसार यह सिद्ध है कि जो आवंटन हुआ है वह गलत व कपट तरीके से कराया गया है जिसे जिला कलेक्टर, धौलपुर ने उचित रूप से खारिज किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुये बहाल किया है और जिला कलेक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 31-12-2002 को निरस्त किया है, वह विधि विरूद्ध है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13-12-2004 निरस्त योग्य है। 18- फलतः राजस्थान सरकार की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय दिनांक 13-8-2004 अपास्त किया जाता है एवं जिला कलेक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांक 31-12-2002 यथावत रखा जाता है तथा अप्रार्थीगण को किया गया आबंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./2005/2119/धौलपुर** **सरकार बनाम लक्ष्मी देवी आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए